

फेशियल रकिंग्नशन टेक्नोलॉजी

प्रलिमिस के लिये:

फेस रकिंग्नशन, आरटिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सुरक्षा कानून

मेन्स के लिये:

फेशियल रकिंग्नशन टेक्नोलॉजी : आवश्यकता एवं चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

तीन वर्षों की विलिंबता के बाद, वर्ष 2022 से यात्री देश के चार हवाई अड्डों (वाराणसी, पुणे, कोलकाता और वजियवाडा) पर अपने बोर्डिंग पास के रूप में 'फेस स्कैन' (Face Scan) का उपयोग कर सकेंगे।

प्रमुख बहु

■ फेशियल रकिंग्नशन (Facial Recognition):


- यह एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो कसी व्यक्तिकी पहचान और व्यक्तियों के बीच अंतर करने के लिये चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है।
 - लगभग छह दशकों में स्कैन पैटर्न को पहचानने से लेकर चेहरे की 3D आकृति को बनाने तक यह प्रणाली कई मायनों में विकसति हुई है।

- ऑटोमेटेड फेशियल रकिंग्नशन सिस्टम (Automated Facial Recognition System- AFRS) व्यक्तियों के चेहरों की छवियों और वीडियो के व्यापक डेटाबेस के आधार पर कार्य करती है। इसमें मौजूद डेटाबेस में उपलब्ध छवियों से मिलान करके व्यक्तिकी पहचान की जाती है।
- सीसीटीवी फुटेज से परापत अज्ञात व्यक्तिके चेहरे के पैटर्न की तुलना [आरटिफिशियल इंटेलिजेंस](#) तकनीक की सहायता से डेटाबेस में उपलब्ध पैटर्न से की जाती है।

■ कार्यप्रणाली:

- प्रारंभिक स्तर पर फेस रकिंग्नशन प्रणाली में कैमरे द्वारा चेहरे और उसकी विशेषताओं को कैप्चर किया जाता है। पुनः विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर उन विशेषताओं का पुनर्निर्माण किया जाता है।
- चेहरे और उनकी विशेषताओं को एक साथ एक डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है तथा इसे कसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसका उपयोग बैंकगि सेवा, सुरक्षा उद्देश्यों की पूरताइत्यादि में किया जा सकता है।

How Facial Recognition Systems Work



■ आवश्यकता:

◦ प्रमाणीकरण:

• इसे प्रमाणित किया जाता है एवं पहचान के लिये उपयोग में लाया जाता है एवं इसकी सफलता दर लगभग 75% है।

◦ फोर्स मल्टीप्लायर:

• भारत में प्रति एक लाख नागरिकों पर 144 पुलिसकर्मी हैं। अतः फेस रिकॉर्डिंग प्रणाली यहाँ बल गुणक (Force Multiplier) के रूप में कार्य कर सकती है क्योंकि इसे न तो अधिक कार्यबल की आवश्यकता है और न ही नियमित उन्नयन की।
• यह तकनीक वर्तमान जनशक्तिकार्यबल के साथ मिलकर एक गेम चैंजर के रूप में कार्य कर सकती है।

■ चुनौतियाँ:

◦ अवसंरचनात्मक लागत:

• कृतर्मि बुद्धिमत्ता और बग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन महँगा होता है।
• संगृहीत सूचनाओं की मात्रा बहुत बड़ी होती है और इसके लिये विशिष्ट नेटवर्क एवं डेटाभैंडारण सुविधा की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में भारत के पास उपलब्ध नहीं है।

◦ गोपनीयता का उल्लंघन:

• हालाँकि सिरकार डेटा गोपनीयता व्यवस्था जैसे कानूनी ढाँचे के माध्यम से गोपनीयता के मुद्दे को संबोधित करने की योजना बना रही है, लेकिन इस प्रकार की तकनीक के उपयोग से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह आपसी हतिं में टकराव उत्पन्न कर सकता है।

◦ विश्वसनीयता और प्रामाणिकता:

• चूंकि ऐक्टर किया गए डेटा का उपयोग आपराधिक मुकदमे के दौरान न्यायालय में किया जा सकता है, इसलिये मानकों और प्रक्रिया के साथ-साथ डेटा की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

◦ डेटा सुरक्षा कानून की अनुपस्थिति:

• [डेटा सुरक्षा कानूनों](#) (Data Protection Laws) की अनुपस्थिति में FRT सिस्टम, जो उपयोगकर्ता द्वारा डेटा के संग्रह और भंडारण में आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिये अनिवार्य होगा, भी चिता का विषय है।

◦ अंतर्रनहिति चुनौतियाँ:

• समय के साथ चेहरे में परविरतन भी हो सकता है, यह भी चिता का विषय है।

आगे की राह:

- वर्तमान डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है जिसे अनियंत्रित या स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। इस संदर्भ में भारत को एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिये।
- अब समय आ गया है कि [विकासीत डेटा संरक्षण विधिक, 2019](#) में आवश्यक परविरतन जाएँ। इन परविरतनों को सुनिश्चित करने हेतु इसमें आवश्यक सुधारों की आवश्यकता है। यह उपयोगकर्ता के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर भी ज़ोर देता है। इन अधिकारों को लागू करने हेतु एक गोपनीयता आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।
- सरकार को सूचना के अधिकार को मजबूत बनाने के साथ ही नागरिकों की नजिता का भी सम्मान करना होगा। इसके अतिरिक्त पछिले दो से तीन वर्षों

में हुए तकनीकी विकास को देखते हुए यह संबोधिति करने की भी आवश्यकता है ये कानून तकनीकी विकास की सीमा को भी नियंत्रित करते हैं।

स्रोतः द हंडू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/facial-recognition-technology>

